कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ फाइल 545 फाइल नं० 1 C दिनांक 5/04/24

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/60/2022/एफ.सी./989 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.875 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.750 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.875 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगू पट्टी बसन्तकोट तहसील मुनस्यारी के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–61 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 329 रकवा 0.496 हे0, 337 रकवा 1.683 हे0, 340 रकवा 0.339 हे0, 344 रकवा 0.028 हे0, 346 रकवा 0.138 हे0, 348 रकवा 0.006 हे0, 350 रकवा 0.003 हे0, 353 रकवा 0.030 हे0, 355 रकवा 0.006 हे0, 359 रकवा 0.008 हे0, 361 रकवा 0.009 हे0, 363 रकवा 0.005 हे0, 365 रकवा 0.076 हे0, 367 रकवा 0.001 हे0, 369 रकवा 0.003 हे0, 371 रकवा 0.001 हे0, 384 रकवा 0.051 हे0, 385 रकवा 0.004 हे0, 386 रकवा 0.004 हे0, 387 रकवा 0.005 हे0, 393 रकवा 0.200 हे0, 413 मध्ये रकवा 0.014 हे0, 2024 रकवा 0.229 हे0, 2036 रकवा 0.650 हे0, 2042 रकवा 1.880 हे0, 2437 रकवा 1.006 हे0, 2438 रकवा 0.815 हे कुल 27 खेतों की 7.750 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मार्च, 30, 2024

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1160 /सात– 16 /2023–24 दिनांक मार्च.30, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला/मुनस्यारी।
4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट पिथौरागढ़।

AE (धारचूला) / JE(T)

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

		X	X
		8220	0.079
	योग	1691	[illegible]

श्रेणी 9(3) घ – छप्पर रहने को पास न [illegible] – कोई नहीं 1
श्रेणी 9(3) ङ – [illegible] बंजर भूमि – [illegible]

1201311 361. 36

61. बंजर काबिल आबाद श्रे.	1374 फुटकर	12.81	0.118
		13	0.025
		32	0.065
		33	0.141
		35	0.005
		49	0.014
		50	0.008
		53	0.004
		65	0.776
		66	0.095
		67	0.018
		68	0.018
		69	0.010
		80	0.025
		81	0.106
		82	0.020
		83	0.005
		84	0.004
		85	0.008
		94	0.009
		98	0.008
		99	0.005
		100	0.008
		105	0.004
		107	0.010
		110	0.025

(61) पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं०- संख्या-8बी/35 / यू.सी.पी./06.06.2022/फि.सी./989 दि० 25.10.2023 के क्रम में राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दि० 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र सं० 1160/सात-16/2023-24 के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.875 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सभा पट्टी [illegible] गुनहयासी के गैर लाभकारी खाता सं०-61 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत सं० 329 रकबा 0.496 हे०, 337 रकबा 1.683 हे०, 340 रकबा 0.319 हे० 344 रकबा 0.029 हे०, 346 रकबा 0.138 हे०, 348 रकबा 0.006 हे०, 350 रकबा 0.003 हे० 353 रकबा 0.030 हे० 355 रकबा 0.006 हे०, 359 रकबा 0.008 हे०, 361 रकबा 0.004 हे०, 363 रकबा 0.005 हे० 365 रकबा 0.076 हे० 367 रकबा 0.001 हे० 369 रकबा 0.003 हे० 371 रकबा 0.001 हे० 384 रकबा 0.051 हे०, 385 रकबा 0.004 हे०, 386 रकबा 0.004 हे०, 387 रकबा 0.005 हे०, 393 रकबा 0.0200 हे०, 408 रकबा 0.014 हे०, 2034 रकबा 0.219 हे० 2036 रकबा 0.650 हे०, 2042 रकबा 1.880 हे० 2437 रकबा 1.006 हे०, 2438 रकबा 0.815 हे० कुल - 27 खेतों को 7.750 हे० सिविल सोयम को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण आदेश दर्ज किया।

(हस्ताक्षर)
राजस्व निरीक्षक
[illegible]
30.11.24